

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारि का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू-वापसी अपील वाद संख्या - 42/2010
बिहारी मुण्डा वगै० बनाम सदीक मियाँ वगै०

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

29-08-2018

-: आदेश :-

उभय पक्ष अनुपस्थित। भूमि सुधार उप-समाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू-वापसी वाद सं०- 22/2008-09 बिहारी मुण्डा वगै० बनाम सदीक मियाँ वगै० में दिनांक 15.04.2010 को पारित आदेश के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अपील दायर किया गया है। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा हेहल, थाना नं०- 58, थाना- पतरातू अर्न्तगत खाता नं०- 22, प्लॉट नं०- 880, रकबा - 0.01 एकड़ एवं खाता नं०- 78, प्लॉट नं०- 879, रकबा- 0.85 एकड़, कुल जमा रकबा-0.86 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में झगरू मुण्डा वो मंगरू मुण्डा पिता धुंधा मुण्डा वो करमा मुण्डा पिता लंगरू मुण्डा के नाम से दर्ज है, जो आदिवासी खाते की भूमि है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आदिवासी खाते की भूमि गैर आदिवासी को विधिवत् नियमानुसार हस्तान्तरण हुआ है या नहीं।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा भू-वापसी वाद सं०- 22/2008-09 बिहारी मुण्डा वगै० बनाम सदीक मियाँ वगै० में दिनांक 15.04.2010 को पारित आदेश से सहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं, फलतः उक्त आदेश को निरस्त करते हुए प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है और भूमि सुधार उप-समाहर्ता, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है कि उक्त परिपेक्ष्य में विधिवत् राजस्व कागजातों की जाँच कर नये सिरे से सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया जाय। इसी मन्तव्य के साथ वाद का निस्तार किया जाता है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़